

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Original Application No. 1318/2024

Virat Sourabh Bhatt

Applicant

Versus

State of Uttarakhand

Respondents

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Compliance Affidavit	2-5
3.	<u>Annexure No. 1</u> (Copy of letter dated 07.12.2024)	6
4.	<u>Annexure No. 2</u> (Copy of joint committee report dated 12.12.2024)	7-27



Dated: 2 January 2025

[Handwritten Signature]

MUKESH VERMA

[Handwritten Signature]
Advocate for UKPCB
Chamber No. 50, Old Block,
Supreme Court of India, New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL, NEW DELHI

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Original Application No. 1318/2024

Virat Sourabh Bhatt



Versus

State of Uttarakhand

Respondents

Affidavit of Shri Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Shri M/B Dhakate presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Paryavaran Bhawan, IT Park, Dehradun.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

- 1) That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board Uttarakhand and is competent to sign and swear the instant affidavit.
- 2) That the matter was listed before the Hon'ble NGT on 29.11.2024, wherein the Hon'ble tribunal was pleased to dispose of the matter with the following directions:

2

“

4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising Municipal Officer/Executive Officer, Nagar Panchayat, Ukhimath, District Magistrate, Rudraprayag and Uttarakhand State Pollution Control Board. They shall visit the site and if finds that there is dumping of solid waste and that too in violation of the environmental laws, appropriate remedial action shall be taken within two months and a compliance report be submitted with Registrar General of this Tribunal who may place the matter before the appropriate Bench, if any further order is required.

.....”

3) That in compliance of the aforesaid directions of the Hon'ble tribunal, the Member Secretary, UKPCB vide letter no. UKPCB/H.O./S.No.183-833/2024/1317, dated 07.12.2024 requested the District Magistrate, Rudraprayag and Executive Officer, Nagar Panchayat, Ukhimath to take further action. Copy of the letter dated 07.12.2024 is being marked and filed as **Annexure No.1** to this affidavit.


4) That in compliance with the above, the Joint Committee conducted a field inspection of the site in question on 12.12.2024.

That during the inspection it was found that the amount of solid waste generated from the urban area (*Nagariya Kshetra*) is approximately 01 ton per day and for disposal of the said solid waste, MRF Center has been established by Nagar Panchayat Ukhimath in the year 2021-22.




[Handwritten Signature] 3

- 6) That the solid waste generated from the Nagar Panchayat area is being separated at the MRF Centre and the inorganic waste is being compacted through a compactor and given for plastic recycling and the Organic waste is being composted, apart from this, a compost dryer machine has been purchased by the Nagar Panchayat to make compost from organic waste.
- 7) During the Inspection, the Executive Officer, Nagar Panchayat, Ukhimath informed that at present, solid waste is not being treated and disposed off in Ukhimath Mansuna Road, Chari Tok and earlier, the collected solid waste was collected at M.R.F center for Segregation and disposal. The same was also confirmed during the inspection.
- 8) From the site inspection and from the records made available by the Executive Officer, Nagar Panchayat Ukhimath it is revealed that, at present, no solid waste is found at the area in question. That no issue of foul smell was found; the Nagar Panchayat Ukhimath has installed tin sheets by the road side, also the Nagar Panchayat has put warning boards at the site displaying that no solid waste should be dumped at the said site; if anyone is found dumping, a fine will be imposed for the same. The Nagar Panchayat has planted trees at the site. Photographs taken during inspection are attached hereof. In this connection copy of the consolidated report of the committee dated 12.12.2024 is being marked and filed as **Annexure No.2** to this affidavit.
- 9) That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by



[Handwritten Signature]

them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.



Deponent

Verification: -

Verified at Dehradun on the 1st day of January, 2025, that the contents of the accompanying compliance affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.


Deponent

Dated- 01 January 2025




FILED BY

MUKESH VERMA
Advocate for UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi



Sr. NO. 10/2025

This affidavit is sworn before me by
Shri... Parag Madhukar Dhakate
who is identified by Shri... self
at Dehradun on... 1/1/25


(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun



32

मुख्यालय Annexure-1

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-833 / 2024 / 1317

दिनांक 07.12.2024

स्पीड पोस्ट / ई-मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

1. जिलाधिकारी
जिला- रुद्रप्रयाग।
2. अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत, ऊखीमठ।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित O.A. No. 1318/2024 Virat Sourabh Bhatt Vs. State of Uttarakhand के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। प्रकरण नगर पंचायत, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 का उल्लंघन करते हुए ठोस अपशिष्ट डंप किये जाने के सम्बन्ध में है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निर्देशों के साथ-साथ निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising Municipal Officer/Executive Officer, Nagar Panchayat, Ukhimath, District Magistrate, Rudraprayag and Uttarakhand State Pollution Control Board. They shall visit the site and if finds that there is dumping of solid waste and that too in violation of the environmental laws, appropriate remedial action shall be taken within two months and a compliance report be submitted with Registrar General of this Tribunal who may place the matter before the appropriate Bench, if any further order is required.

प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं।

विषयगत प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ई-115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून (मो0नं0-9837156720, ई-मेल-roueppcb@gmail.com) को नामित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में स-समय अग्रेतर कार्यवाही करते हुए आख्या ससमय मा0 एन0जी0टी0 एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-833 / 2024 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं नगर पंचायत, ऊखीमठ से सम्पर्क कर स-समय आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव



Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : rouppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-125/2024-25/2984-1544 दिनांक: 19/12/24

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन, आई0टी0 पार्क,
सहस्रधारा रोड़, देहरादून।

विषय— मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या 1318/2024 विराट सौरभ भट्ट बनाम स्टेट आफ उत्तराखंड राज्य के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 1318/2024 विराट सौरभ भट्ट बनाम स्टेट आफ उत्तराखंड राज्य के संबंध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यू०के०पी०सी०बी०/एच०ओ०/सा०-183-833/2024/1317 दिनांक 07.12.2024 के अनुपालन में प्रकरण मै० नगर पंचायत उखीमठ, रुद्रप्रयाग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10.12.2024 को अधोहस्ताक्षरीयो द्वारा गठित संयुक्त समिति के साथ किया गया, निरीक्षण आख्या संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय


16/12/2024
(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

34 संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-1318/2024 विराट सौरभ भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29/11/2024 के द्वारा शिकायत कर्ता श्री विराट सौरभ भट्ट की शिकायत मन्दाकिनी नदी के पास अवैध रूप से ठोस अपशिष्ट डम्प किये जाने पर नदी के पानी को नुकसान होने सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में जाँच हेतु जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-923/33-14(2024-25) दिनांक 10 दिसम्बर 2024 के माध्यम से निम्नवत् संयुक्त टीम का गठन किया गया।

- 1-उपजिलाधिकारी ऊखीमठ
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 3-अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत

जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के उक्तांकित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त गठित समिति द्वारा आज दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को विषयगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही।

- 1-उपजिलाधिकारी ऊखीमठ।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 3-अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत।
- 4-सहायक बैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 5-हिमांशु पुरोहित पर्यावरण पर्यवेक्षक नगर पंचायत ऊखीमठ।
- 6-अजय कुमार लेखा लिपिक नगर पंचायत ऊखीमठ।

निरीक्षण के समय की उपस्थिति का विवरण संलग्न है-

संलग्नक-1

विषयगत प्रकरण/स्थल से सम्बन्धित स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है।
स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा नगरीय क्षेत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा लगभग 01 टन प्रतिदिन है।

संलग्नक-2

उक्त ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा एम0आर0एफ0 सेन्टर की स्थापना वर्ष-2021-22 की गई है।

संलग्नक-3

एम0आर0एफ0 सेन्टर पर नगर पंचायत क्षेत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण किया जा रहा है एवं अजैविक अपशिष्ट को कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्पैक्ट कर प्लास्टिक रिसार्ईकिलिंग हेतु दिया जा रहा है। जिसका विवरण संलग्न है।

संलग्नक-4

जैविक कूड़े को कम्पोस्ट किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने के लिये कम्पोस्ट ड्रायर मशीन क्रय की गयी है।

संलग्नक-5

स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा अवगत कराया गया है कि ऊखीमठ मनसूना रोड़ चारी तोक में वर्तमान में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया जा रहा है एवं पूर्व में एकत्रित अपशिष्ट को एकत्रित कर एम0आर0एफ0 सेन्टर में पृथकीकरण कर निस्तारण किया गया है। जिसकी पुष्टी निरीक्षण के दौरान भी की गई है।


मौका निरीक्षण एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार शिकायती स्थल पर वर्तमान में कोई ठोस अपशिष्ट नहीं पाया गया। प्रश्नगत

 8


स्थल पर निरीक्षण के दौरान कोई दुर्गन्ध समस्या नहीं पायी गई है एवं नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा प्रश्नगत स्थल पर सड़क मार्ग की ओर टीन सीट लगायी गई हैं, साथ ही नगर पंचायत द्वारा उक्त स्थल पर चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं कि, उक्त स्थल पर कोई ठोस अपशिष्ट न डाला जाय यदि कोई डालते हुये पाये जाने पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। नगर पंचायत द्वारा उक्त स्थल पर वृक्षारोपण किया गया है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं।

संलग्नक-6


अतः उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


(सुनील वर्मा)


अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ


(एस0एस0 चौहान)

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
यू0के0पी0सी0बी0 देहरादून।


(अमित पोखरियाल)

क्षेत्रीय अधिकारी,
यू0के0पी0सी0बी0 देहरादून।


(अनिल कुमार शुक्ला)
उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित O.A.N0.-1318/2024 Virat Sourabh Bhatt Vs State Of Uttarakhand एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 923/33-14 (2024-25) दिनांक 10 दिसम्बर 2024 के सम्बन्ध में दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को गठित समिति की उपस्थिति निम्नवत है-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
01	अनिल कुमार शुक्ला	उपजिलाधिकारी तहसील अखीरत	9412936952	
02	अमित पौरवायल	दो-रीय अधिकारी प्र. के. पी. जे. वा.	9837156720	
03	रत्न शर्मा चौहान	तहसील के अधिकारी अ. के. पी. जी. वा.	9719034547	
04	सुनील वर्मा	अधिसास्य अधिकारी नगर पंचायत अखीरत	7983122881	
05	हिमांशु पुरोहित	पंचायत पथनेशन नगर पंचायत अखीरत	7906894579	हिमांशु
06	अजय कुमार	लेखा लिपिक न. प. अखीरत	8126963483	
07	Ashish Rana	(नि.) तहसील अधिकारी	8477995406	
08				

Month – 1 September – 30 September, 2024

जिले का नाम –रुद्रप्रयाग।

निकाय का नाम –नगर पंचायत ऊखीमठ।

एंटी लिटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट – 2016

The Anti Littering & Anti Spitting Act, 2016 के तहत सितम्बर माह में काटे गये कुल चालानों की संख्या।	“The Anti Littering & Anti Spitting Act, 2016” के तहत सितम्बर में वसूल किया गया कुल जुर्माना (रूपये में)।
01	100.00

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम – 2016

50 माइक्राने से कम के नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग / प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध की तारीख।	“Plastic Waste Management Rules, 2016” के तहत सितम्बर माह में काटे गये कुल चालानों की संख्या।	“Plastic Waste Management Rules, 2016” के तहत सितम्बर माह में वसूल किया गया कुल जुर्माना (रूपये में)।
19/02/2016	00	00.00

प्लास्टिक कम्पेक्टर

निकाय में कुल प्लास्टिक कम्पेक्टर की संख्या।	सितम्बर माह में कुल कम्पेक्ट किये गये प्लास्टिक की मात्रा (टन) में।	सितम्बर माह में कम्पेक्ट किये गये प्लास्टिक को विक्रय कर अर्जित आय (रूपये में)।	प्लास्टिक कम्पेक्टर से अतिथि तक कुल अर्जित आय (रूपये में)।
01	0.56	3340.00	68726.00

बल्क वेस्ट जनरेटर

निकाय में कुल बल्क वेस्ट जनरेटरों की संख्या।	ऑन साइट कंपोस्टिंग करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों की संख्या।
0	0

निकाय में कुल सरकारी कॉलोनी की संख्या।	ऑन साइट कंपोस्टिंग करने वाली सरकारी कॉलोनी की संख्या।
5	0

नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर (ऑन साइट कम्पोस्टिंग)

नोट – कुल घरों के 4% घरों में होम कंपोस्टिंग करना लक्षित है।	
निकाय में कुल घरों की संख्या।	796
ऑन साइट कम्पोस्टिंग की शुरुआत करने वाले घरों की संख्या।	309
निकाय में दुकान और अन्य अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या।	241
ऑन साइट कम्पोस्टिंग की शुरुआत करने वाली दुकान और अन्य अपशिष्ट उत्पादकों की संख्या।	6

*नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर – ऐसे अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 100kg / Day अथवा निकाय द्वारा निर्धारित सीमा से कम ठोस अपशिष्ट उत्पादित करते हों। जैसे-जूस वाला , फल एवं सब्जी विक्रेता /छोटे होटल/घर्मशाला/रेस्टोरेंट आदि।

बिन फ्री सिटी

नोट –प्रत्येक निकाय/वार्ड को बिन फ्री सिटी किया जाना है।	
निकाय बिन फ्री सिटी है। (हाँ / नहीं)	हाँ
यदि हाँ, निकाय के बिन फ्री सिटी होने की तारीख।	1 अप्रैल 2018 से

*बिन फ्री सिटी /वार्ड – ऐसे निकाय /वार्ड को बिन फ्री सिटी कहा जायेगा जहां 100 लीटर की क्षमता से अधिक वाले कूड़े दान शहर/वार्ड से हटा दिये गये हो तथा बाजार क्षेत्र, पार्क, बस स्टैण्ड आदि में 100 लीटर से कम क्षमता वाले बिन लगाये गये हो।

सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा (एम आर एफ)

निकाय में स्थापित कुल MRF* (Materials Recovery Facility) सेंटरों की संख्या।	1
सितम्बर माह में कुल कितने रिसाइक्लेवल अपशिष्ट को अलग किया गया है। (टन में)	0.89
सितम्बर माह में रिसाइक्लेवल अपशिष्ट को विक्रय कर कुल अर्जित आय। (रूपये में) (नोट- प्लास्टिक कम्पेक्टर से अर्जित आय को छोड़ कर)	5020

*Note- सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा (एम आर एफ) – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम –2016 के नियम-2, बिन्दु –31 में वर्णित परिभाषा के अनुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के वेस्ट पिकर/रैग पिकर को सम्मिलित कर रिसाइक्लेवल अपशिष्ट को एकत्र करने, छांटने, मूल्य संवर्धित करने तथा बेचने का स्थान।

गीले कूड़े से कम्पोस्ट (खाद)

सितम्बर माह में गीले कूड़े से बनायी गयी कुल कम्पोस्ट की मात्रा (टन में)।	0.51
सितम्बर माह में कम्पोस्ट को विक्रय कर कुल अर्जित आय (रूपये में)।	0
कम्पोस्ट के अन्यत्र उपयोग का विवरण (*Note- जिन निकायो ने कम्पोस्ट से कोई आय अर्जित नहीं की है।)	निकाय के द्वारा स्वयं के द्वारा गीले कचरे से बनाई गई कम्पोस्ट का प्रयोग स्वये के बगीचे/खेतों आदि में किया जाता है।

Septage Management Cell (SMC) और Sanitation Response Unit (SRU) के सम्बन्ध में।

27.	निकाय में SMC का गठन किया गया है। (हाँ/नहीं)	नहीं
नोट-यदि हाँ, तो SMC के सदस्यों की सूची नाम / पदनाम सहित उपलब्ध कराये।		
28.	क्या SMC को SRU हेतु भी नामित किया गया है। (हाँ/नहीं)	-
नोट-		
<ul style="list-style-type: none"> • यदि हाँ तो आदेश की प्रति नाम/पदनाम सहित उपलब्ध कराये । • यदि नहीं तो SMC को SRU का कार्य सौंपते हुये कार्यालय आदेश जारी करे तथा सदस्यों की सूची सहित प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराये। 		

*Note-

Septage Management Cell (SMC) - SMC का कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ निकाय के अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा FSSM से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना और Non & Complying Actors पर पेनल्टी लगाना हैं जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 में उल्लिखित है ।

Sanitation Response Unit (SRU) - मैनुअल स्कर्वेजिंग प्रतिबन्ध तथा उनके पुनर्वास एक्ट – 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013) तथा प्रस्तावित एमेंडमेंट एक्ट के अनुपालन के क्रम में सीवर सफाई तथा सेप्टेज संबंधी समस्त कार्यों को मशीन आधारित करने को बढ़ावा देने, सीवर सफाई संबंधित दुर्घटनाओं में मानव क्षति को शून्य किए जाने हेतु Sanitation Response Unit (SRU) को नियुक्त किया जाना है।



(सुनील वर्मा)


अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत ऊखीमठ।

नगर पंचायत ऊखीमठ

नगर पंचायत ऊखीमठ द्वारा संपूर्ण नगर क्षेत्रान्तर्गत दैनिक कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया:-

नगर क्षेत्र में प्रातः एवं अपराह्न प्रति दिन संपूर्ण नगर क्षेत्र में कूड़ा वाहन एवं डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से नगर क्षेत्र में सूखा (अजैविक) एवं गीला (जैविक) कूड़े को एकत्रित किया जाता है इसके बाद कूड़ा वाहन के माध्यम से एकत्रित कूड़े को एम आर एफ सेंटर में लाया जाता है। जहां जैविक एवं अजैविक कूड़े के भार को सर्वप्रथम नोट किया जाता है। इसके बाद संपूर्ण एकत्रित कूड़े को अलग-अलग श्रेणी में छटाई/पृथक करने का कार्य किया जाता है, जिसमें हार्ड प्लास्टिक/सॉफ्ट प्लास्टिक/व्हाइट एवं रंगीन पॉलीथीन/बियर केन/व्हाइट एवं रंगीन बोतल/कार्ड बोर्ड(गत्ते)/कपड़े/धातु सामग्री/वायर/रबर सामग्री आदि को अलग किया जाता है। इसके बाद अलग किये गये सामग्री को "कॉम्पेक्टर मशीन" के माध्यम से प्लास्टिक बोतल/बियर केन एवं कार्ड बोर्ड (गत्ते) को कॉम्पेक्ट करके छोटी-छोटी पेटियां बनायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जैविक कूड़े को "जैविक कम्पोस्ट मशीन" एवं कम्पोस्ट पिट में डाला जाता है, जिससे जैविक कूड़े की खाद बनाई जाती है।


12/12/2024
अधिशारी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ
पञ्जाब



बोर्ड बैठक

आज दिनांक 07-01-2022 को नगर पंचायत कार्यालय में मा.अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में मा. बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित निम्नलिखित हैं।

- 1- श्री विजय सिंह (अध्यक्ष) - 2015
2. श्रीमती पूजा (सदस्य 1) - पूजा देवी सरला देवी
3. श्रीमती मंजु (सदस्य 2)
4. श्री प्रदीप सिंह (सदस्य 3) - प्रदीप
5. श्री रविन्द्र सिंह (सदस्य 4) - Ravi
6. श्री राजन भैरव (मनेजिंग सदस्य) राजन

पुस्तकें 1. सर्व प्रथम मा. अध्यक्ष जी के द्वारा सभी सामाजिकों को धन्यवाद किया गया। तथा पुस्तकें में पुस्तकों को पढ़ा गया एवं उनकी मुद्रित की गयी एवं सदस्यी प्रदान की गयी।

पुस्तकें 2. - सदन में नये निर्माण कार्यों पर चर्चा की गयी एवं निम्न प्रस्ताव दिये गये।

- 1- नगर पंचायत अखीमड के चुन्नी मुहल्ले में बावड़ी मन्दिर स्थित सामुदायिक ग्राम पर दिन रात निर्माण व समुदाय के विकास हेतु अ.ग. सामाजिकी मा. विद्यालय निर्मित से स्वीकृत।
- 2- नगर पंचायत अखीमड के मंगोली स्थित शिव मंदिर को एं.प.स्वीकृत कार्य मा. विद्यालय निर्मित से।
- 3- नगर पंचायत अखीमड के अखीमड वार्ड 4 के सामाजिकी तोक में पैदल मार्ग सुधार कार्य।
4. रौली देवी के घर को सामुदायिक अर्थ लक्ष्य प्राप्त किया गयी निर्माण कार्य।
5. आंकारेखर वार्ड 3 में मर्दाना तोक में सुव्यवस्था कार्य एवं शिव विद्यालय वार्ड निर्माण कार्य।
6. अखीमड वार्ड 2 में विभिन्न तोकों में समुदाय मार्ग का मरम्मत कार्य।
7. आंकारेखर वार्ड 3 में अखीमड वार्ड स्थायी से पाठशाला मार्ग लक्ष्य समुदाय मार्ग एवं सुव्यवस्था कार्य।

- 08- सड़क से दुश्चिह्न तक बँहेंगे कार्य।
- 09- अहमदाबाद वार्ड 4 में जाखली तोक में पुलिया व मुख्य माँहले में मोचवीर के द्वार से लो० नि० वि० की सड़क तक निर्माण कार्य।
- 10- शिवाजी मुख्य मार्ग में लड़कें व नाली निर्माण कार्य।
- 11- मुख्य सड़क से आरखवती शिक्षु मंदिर विद्यालय तक आधारे मार्ग निर्माण।
- 12- अहमदाबाद वार्ड 4 में वना पानी लाय के समीप गदरे में सुन्दहालक कार्य।
- 13- आर्थिक शौचालय में लक्षण / सौन्दरीकरण कार्य।
- 14- मराठू लाल के गाँशावा के समीप विराहे से किनेश लाल के द्वार तक लक्षण निर्माण कार्य।
- 15- आंकापेखरे वार्ड-3 में मरतोली तोक में आधुनिक शौचालय का सौन्दरीकरण निर्माण कार्य।
- 16- वार्ड 4 में विचखोली द्वार से दुश्चिह्न गदरे से वासा बँहेंगे निर्माण।
- ~~17- मरना तोक में ब्लूवाइल का सौन्दरीकरण एवं प्रकृति विकास कार्य।~~
- 17- वी० की० 30 मा० विद्यालय के धामने से लक्ष्मणखोली पुलिया तक सड़क मार्ग निर्माण कार्य।
- 18- संसदी तोक में पूर्व में ठेकेदार राजिब सिंघे की मृत्यु के पश्चात हुए ईश कार्या जिसमें बँहेंगे निर्माण कार्य था उसे स्थानीय लोगों की आग्रह पर निवेदा के द्वारा पूर्ण किया जाये। (प्रस्ताव सं० 2 के क्रमांक 3 के अनुसार)

प्रस्तावः- अ-र में मा० अहमदा के द्वारा सभी समासों का धन-पदाद शोधन कर बँहेंगे का समापन किया गया।

Report

(प्रकाश सिंह)

जगराज ओजिस्वर वार्ड-3
नगर प्रशासन-उत्तरीमठ
अनपन-उत्तरीमठ

(सिद्ध)

अनपन-उत्तरीमठ
नगर प्रशासन (उत्तराखण्ड)

सरला

श्रीमती सरलादेवी
समासद, उदयपुर वार्ड न० 2
नगर प्रशासन उत्तरीमठ
जनपद रुद्रयाग (उत्तराखण्ड)

(सुजादेवी)
श्रीमती पूजा देवी
समासद वार्ड नं० 1
गौधीनगर, नं० पं० उत्तरीमठ



PWD UTTARAKHAND
43
SCHEDULE OF RATES

SOR :- MORD
For Block 16 Ukhimath

Year :- FY. 2019-20

Effective From:-01-May-2019

Sl. No.	Description	Rate	Unit
Chapter 11 - FOUNDATION			
11-1	Excavation for Structures Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of slumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.		
11-1-1	Ordinary soil	358.30	Cum
11-1-1-1	Upto 3 m depth	425.50	Cum
11-1-1-2	3 m to 6 m depth	447.90	Cum
11-1-2	Ordinary rock (not requiring blasting) Upto 3 m depth	696.80	Cum
11-1-3	Hard rock (requiring blasting) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	659.10	Cum
11-1-4	Hard rock (blasting prohibited) Upto 3 m depth including 1.5 m depth in hard rock	671.90	Cum
11-1-5	Marshy soil		
11-2	Filling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3.9	2064.30	Cum
11-2-1	Sand filling	230.10	Cum
11-2-2	Earth filling (For marshy soil)		
11-3	Filling annular space around footing in rock as per technical specification Clause 1203.4.3. P.C.C grade M 15 Nominal mix 1:2.5:5	Rate as Per Item no. 11-4-2	
11-4	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203		
11-4-1	P.C.C grade M 10	6219.80	Cum
11-4-1-1	Nominal mix 1:3:6	6308.30	Cum
11-4-1-2	Nominal mix 1:3:6 (Hand mixing)	6022.40	Cum
11-4-2	P.C.C grade M 15	6110.90	Cum
11-4-2-1	Nominal mix (1:2.5:5)	7084.50	Cum
11-4-2-2	Nominal mix 1:2.5:5 (Hand mixing)	7173.00	Cum
11-4-3	P.C.C. grade M 20	8149.80	Cum
11-4-3-1	Nominal mix (1:2:4)	8561.10	Cum
11-4-3-2	Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)		
11-4-4	R.C.C grade M 20		
11-4-5	R.C.C grade M 25		
11-5	Brick masonry work in cement mortar in foundation complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 600, 1202 & 1203		
11-5-1	Brick masonry in 1:3 cement mortar	7874.90	Cum
11-5-2	Brick masonry in 1:4 cement mortar	7634.90	Cum
11-5-3	Brick masonry in cement-lime-mortar (1:0.5:4.5)	8200.60	Cum

OFFICIAL SEAL
P.W.D. UTTARAKHAND
Ukhimath

44
कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग ।
॥ कार्यादेश ॥

पत्रांक- 111 / न0पं0 / निर्माण-कार्यादेश / 2021-22.

दिनांक- 05-07-2021.

श्री प्रकाश
ठेकेदार
नगर पंचायत ऊखीमठ ।
जिला-रुद्रप्रयाग ।

नगर पंचायत ऊखीमठ के द्वारा कार्य का नाम- ओंकारेश्वर वार्ड 03 में मर्दना तोव सुरक्षात्मक कार्य एवं सोर्स सेग्रिगेशन शेड निर्माण कार्य आंगणन राशि 11.36 लाख पर विभागीय दर से प्रतिशत कम दर पर कार्य करने हेतु दी गई आपकी न्यूनतम निविदा मा0 अध्यक्ष एवं निविदा समिति के स्वीकृति देने पर आपको निर्माण कार्य हेतु आपके द्वारा निर्माण कार्य का बौण्ड हस्ताक्षरित किये जाने/अनु हस्ताक्षरित किये जाने पर आपको उपरोक्त कार्य को प्रारम्भ कर पूर्ण करने हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय निर्देशानुसार आपको इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है, कि आप द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य अभियन्ता के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आगणन के अनुरूप इस प्रकार से प्रारम्भ कर गुणवत्ता पूर्वक करेंगे प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री आदि का परीक्षण भी करायेगें ताकि आप द्वारा किये गये निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहने पाये एवं कोई शिकायत प्राप्त न होने पाये ।

अतः कार्य प्रारम्भ की लिखित सूचना देते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही कार्य स्थल फोटो खिचवाने के साथ ही कार्य स्थल का अवर अभियन्ता से मौका मुआयना करवाकर समस्त कार्य गुणवत्ता विशिष्टियों के साथ अवर अभियन्ता के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में तुरन्त प्रारम्भ करने की सूचना के साथ संलग्न कर कार्यालय को देंगे, तथा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर, किये गये निर्माण कार्य के फोटो खिचवाकर कार्य पूर्ण करने की लिखित सूचना के साथ संलग्न कर कार्यालय को देंगे । निर्माण कार्य के दौरान स्वयं ही निर्माण कार्य कराये तथा समय-समय पर कार्य की जांच भी कराते रहें । निर्माण कार्य का सत्यापन कार्य की गुणवत्ता जांच वार्ड सदस्य एवं सहायक अभियन्ता कराये जाने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने । निरीक्षण आख्या में भुगतान की संस्तुति प्राप्त होने पर ही बिल भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । निर्माण कार्य की बिना एम0बी0/मापन के अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा तथा समय समय पर निर्गत शासनादेशो अनुसार व्यापरकर, आयकर, जी0एस0टी0, रायल्टी, एवं अन्य समस्त करों की अदायगी का दायित्व आपका होगा । कार्य की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की कमी पाये जाने एवं अन्य कभियों आदि की शिकायत के कारण भुगतान आदि कार्यवाही में बिलम्ब का पूर्ण दायित्व आपका होगा ।

संलग्न-आंगणन/शौ.बी।

अधिसासी अधिकारी,

नगर पंचायत ऊखीमठ, जिला-रुद्रप्रयाग ।

अध्यक्ष,

प्रतिलिपि:-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।

2-उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ ।

3-सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 ऊखीमठ ।

4-उपकोषाधिकारी, ऊखीमठ ।

5-कनिष्ठ अभियन्ता, न0 पं0 ऊखीमठ को इस आशय से कि कृपया निर्माण कार्य का नियंत्रण निर्देशन करते हुए कार्य के संबंध में अवगत करना सुनिश्चित करें ।

6- संबंधित पत्रावली ।

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत ऊखीमठ ।


॥ कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग ॥ दिनांक ०१ नवंबर 2023
पत्रांक-255/कूडा0वि0-2023-24

:: कार्यआदेश ::

अन्नापूर्णा ट्रेडर्स वर्क्स
रायवाला देहरादून।

विषय :- नगर पंचायत ऊखीमठ में सेग्रिगेशन सेंटर का कूड़ा विक्रय करने के सम्बन्ध में।
कृपया उपरोक्त विषयक नगर पंचायत ऊखीमठ के सेग्रिगेशन सेंटर का कूड़ा विक्रय हेतु आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन में अन्य कोटेशन-दाताओं की तुलना में रुपये 9000/- मासिक / वर्ष का 1.08000/- अधिकतम पाये जाने के फलस्वरूप स्वीकार कर ली गयी है, एवं आप द्वारा अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर लिया गया है।

अतः आप इस पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद निकाय क्षेत्रान्तर्गत सेग्रिगेशन सेंटर का पृथक्कृत कूड़ा उठाना प्रारम्भ करें।


अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रति।


अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग।

टीपे/आज्ञाए

अधिकासी अधिकारी/प्रशासक महोदय,

सादर अवगत कराना है कि, नगर पंचायत ऊखीमठ के क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा निस्तारण भूमि का वर्तमान समय तक हस्तान्तरण नहीं हो पाया है। जिसके कारण गीले कूड़े का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2016 के प्रावधान के अनुसार नहीं हो पा रहा है। जिस कारण स्वच्छता की दृष्टिगत जैविक कूड़े के निस्तारण हेतु प्रयुक्त सामग्री जैसे जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट मशीन का क्रय जैम पोर्टल से किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः सहमति की दशा में स्वीकृति हस्ताक्षर करना चाहें।


अधिकासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ



अधिकासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ

नगरपालिका कार्यालय
लकनौ
30/3/24
नगर पंचायत ऊखीमठ
जिला-उदयपुर (उत्तराखण्ड)

महोदय,

उक्त मशीन नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा निस्तारण हेतु क्रय किया जाना जनहित/निकायहित में अति आवश्यक है।


अधिकासी अधिकारी
नगर पंचायत ऊखीमठ

दिमांडु 
पर्यावर्त पर्यावेक्षण
नगर पंचायत ऊखीमठ

टीपें एवं आज्ञाएं

अधिशाली अधिकारी / अध्यक्ष महोदय,

कृपया वर्ष 2022-23 के तहत कार्यालय नगर पंचायत ऊखीमठ में पंद्रहवे वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सूखे कूड़े के उचित निरतारण के लिए, प्लारिटक कचरे के प्रबंधन हेतु कम्पेक्टर मशीन की आवश्यकता है। महोदय कम्पेक्टर मशीन को जैम पोर्टल द्वारा क्रय किए जाने की सहमति हेतु सेवा में प्रेषित हैं।

महोदय, सहमति की दशा में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा।


 प्रधान लेखक
 न. प. ऊखीमठ


 अधिशाली अधिकारी
 नगर पंचायत ऊखीमठ
 जनपद रुद्रप्रसाद


 अध्यक्ष
 नगर पंचायत ऊखीमठ
 जनपद रुद्रप्रसाद

GeM

e Marketplace



Invoice

SELLER DETAILS:

Address: **K R ENTERPRISES**
HOUSE NO 2, LANE NO 4, ROOP NAGAR, BADRIPUR,
Dehradun, UTTARAKHAND, 248001
Email Id: k2enterprises4422@gmail.com
Contact No : 08279877274
GSTIN: 05ATRPL3249E1ZL

GeM Invoice No: GEM-47780732
GeM Invoice Date: 14-Sep-2024

Order No: GEMC-511687720011248
Order Date: 11-Sep-2024

[Click here to download seller invoice](#)

SHIPPING TO:

Consignee Name: Ajay Kumar
Address: NAGAR PANCHAYAT UKHIMATH, DIST-
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND Rudraprayag
UTTARAKHAND 246469

Contact No: 0135-4563888-
GSTIN: 05MRTO00771B1DG

BILL TO:

Buyer Name: Ajay Kumar , ABHINAYA KAUSHIK
Address: NAGAR PANCHAYAT UKHIMATH, DIST-
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND Rudraprayag
UTTARAKHAND 246469 Urban Development Directorate of
Uttarakhand State Urban Development Authority
GSTIN: 05MRTO00771B1DG
Department: Urban Development Directorate of Uttarakhand
Office Zone: NAGAR PANCHAYAT UKHIMATH
Organisation: State Urban Development Authority

Seller Tax Invoice Number	Seller Tax Invoice Date	Dispatch Mode	Dispatch Date
103	14-Sep-2024	Manual	14-Sep-2024

Place of Supply	Place of Supply State (State/UT Code)	Supply Type	Consignee GSTIN Number
Consignee Location	Uttarakhand / 05	Intra-State	05MRTO00771B1DG

Delivery Instruction	Organic Waste Compost Machine
----------------------	-------------------------------

Product Description	HSN Code	Measurement Unit	Supplied Qty	Unit Price	Total Price inclusive all Taxes
Unbranded Fully Automatic Green Waste Reprocessor/Decomposition System		pieces	1	Rs. 999800.00	Rs. 999800.00
Taxable Amount				Rs. 0.00	
Rounding Off				Rs. 0.00	
Grand Total					Rs. 999800.00

I/We hereby declare that our maximum turn over during last three years is only Rs. 0 and hence we are not covered under the ambit of GST e-invoicing provisions. We do hereby declare that once the said provisions are made applicable to us, we shall issue the duly complied e-Invoice under GST Law.

All GST invoice or document issued by us shall be properly and timely reported under respective returns under GST by us in line

